## न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 09/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/9)**

साहबराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ग्राम बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

स्टेट जरिये तहसीलदार पल्लू जिला हनुमानगढं।

**रेस्पोडेंट**

**उपस्थितः** 1. श्री प्रहलाद जाखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 28.11.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 16.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने अपने पत्र दिनांक 26.10.2021 द्वारा तहसील रावतसर की ग्राम पंचायत बरमसर के ग्राम खसरा नं. 160 के कुल रकबा 0.9360 हैक्टयर बरानी भूमि में से 0.253 हैक्टयर भूमि को हड्डारोडी हेतु आंवटित/आरक्षित करने के प्रस्ताव जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्रेषित किये। जिस पर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.09.2022 द्वारा उक्त भूमि (उत्तर –पश्चिम पाशा) को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ "हड्डारोड़ी" हेतु ही उपयोग करने तथा भविष्य में आवश्यकता नही होने पर भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अदालत मातहत के द्वारा ग्राम बरमसर के खसरा नं. 160 तादादी 0.9360 हैक्टेयर मे से (उत्तरी–पश्चिमी) की 0.2530 हैक्टेयर भूमि हड्डारोड़ी प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है। उक्त रकबा आबादी भूमि से केवल 500 मीटर ही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दूरी पर स्थित है, यदि वहा मृत पशुओ से जो गंध व माहामारी फेलेगी उससे स्वास्थ्य पर भयकर बुरा असर पड़ेगा। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि रौही मौजा बरमसर के खसरा नं. 161 / 1 तादादी 1.6820 हैक्टेयर में से 1 / 5 हिस्सा स्थित है, जो अपीलान्ट के कब्जा काश्त मे चला आ रहा है, जिसमे अपीलान्ट परिवार सहित आबाद होकर काश्त करता है। हड्डारोडी के लिए आरक्षित की गई भूमि अपीलान्ट के रकबा से चिपती भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि सेटअपार्ट की गई भूमि अपीलान्ट की चिपती भूमि है। अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से पूर्णतयाः व्यथित है तथा उसके हित प्रभावित होते है, इसलिए अपीलान्ट को हितबद्व एवं आवश्यक पक्षकार मानते हुए प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जावे। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.01.2023 को पटवारी हल्का मौके पर आने पर हुई। पटवारी हल्का ने बताया कि इस रकबा मे से 0.253 हैक्टेयर भूमि हड्डारोडी के लिए आरक्षित की गई है। अपीलान्ट ने जानबूझ कर अपील प्रस्तुत करने में देरी नही की है, उक्त देरी उसे जानकारी न होने के कारण हुई है। इसलिए डिले कन्डोन फरमाई जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है। जिला कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2022 को यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 16.09.2022 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 13.02.2022 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 17.01.2023 को हुई। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरूद्व काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादगत भूमि अपीलान्ट की भूमि के चिपती भूमि है, अपीलान्ट अपने खातेदारी रकबा मे परिवार सहित आबाद होकर निवास कर रहा है। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब/खण्डन प्रस्तुत नही हुआ है, ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत बरमसर, पंचायत समिति रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा प्रस्ताव पारित कर ग्राम बरमसर के खसरा नं. 160 रकबा 0.9360 हैक्टेयर भूमि में से 0.253 हैक्टेयर भूमि हड्डारोडी हेतु आवंटन चाहा गया। उक्त भूमि का पूर्ण परीक्षण कर तहसीलदार रावतसर द्वारा भूमि आरक्षण /आवटन का प्रस्ताव अग्रेषित किया गया। तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा हस्तगत भूमि का आरक्षण हड्डारोडी प्रयोजनार्थ किया गया। चूंकि भूमि राजस्थान सरकार के खाते दर्ज है व बतौर भूमिधारी तहसीलदार द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर जनोपयोगी प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण/आवटंन हेतु जिला कलक्टर को भिजवाया है। उक्त तथ्यो के मध्यनजर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.11.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(ओ.पी.बिश्नोई)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**बीकानेर**